

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
घट-द्वितीय, वृत्त-बी, हनुमानगढ़।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स ए.के.ट्रेडर्स, हनुमानगढ़।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

• श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी.सी.सोगानी,

अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13.08.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय वृत्त-बी, हनुमानगढ़ (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा यह अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (अपील्स) बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 11.03.2011 के विरुद्ध पेश की गयी है, जो अपील संख्या- 162/आर. वैंट/हनुमानगढ़/2010-11 के सम्बन्ध में है तथा जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23 के तहत निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिये पारित निर्धारण आदेश, दिनांक 31.03.2010, के जरिये कायम की गयी आगत कर की मुजरा राशि रू0 3,69,060/- व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशि रू0 90,477/- की मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि से संबंधित दस्तावेजों की जांच कर, यह पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि का घोषणा प्ररूप वेट-10ए प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने उक्त की प्रस्तुति हेतु प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वेट-10 ए प्रस्तुत किया गया जिसकी जांच कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने यह पाया कि आलोच्य अवधि में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स जय श्री बालाजी ट्रेडर्स, मैसर्स एम.एम.एन्टरप्राइजेज, हनुमानगढ़, व मैसर्स सौरभ इण्डस्ट्रीज़, डबली से क्रय किये गये माल पर आगत



कर का मुजरा चाहा गया है । अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा चाहे गये आगत कर की मुजरा राशि को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि विक्रेता व्यवहारियों द्वारा आलोच्य अवधि का न तो त्रैमासिक विवरण प्रपत्र जमा करवाये गये हैं एवम् न ही कर ही राजकोष में जमा करवाया गया है। अतः अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने चाहे गये आगत कर की मुजरा राशि को अस्वीकार कर, उपर्युक्तानुसार मांग राशि कायम कर, निर्धारण आदेश पारित किया गया । उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, कायम की गयी मांग राशियों को अपास्त कर दिया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपरिथत होकर कथन किया कि कथन किया कि अधिनियम की धारा 18(2) के प्रावधानों के प्रकाश में, वैट कर जमा कराये जाने का सत्यापन होने की दशा में ही, आगत कर का मुजरा प्रदान किये जाने योग्य है अन्यथा आगत कर के मुजरा प्रदान नहीं किया जा सकता। अग्रिम कथन किया कि वैट व्यवस्था में विक्रेता व्यवहारी द्वारा कर जमा नहीं कराने की दशा में, आगत कर के मुजरे का दावा अस्वीकार्य है ? तर्क दिया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को मौका दिया गया था कि वह इस संबंध में अपने बहीखातों में अंकित खरीद के संबंध में कर जमा कराने के सबूत के भार निर्वहन करे परन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर जमा कराने का कोई सबूत के भार का निर्वहन नहीं किया गया है जो अधिनियम की धारा 10 के विशिष्ट प्रावधानों के प्रकाश में, बाध्यकारी है। इसी प्रकार, अधिनियम की धारा 18(3)(v) के प्रावधानों के प्रकाश में भी आगत कर का मुजरे का दावा अस्वीकार करने को विधिसम्मत होने का कथन किया गया । अग्रिम अभिवाक् किया कि अधिनियम की धारा 18(2) के आलोक में, विद्वान निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है एवम् इस संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम के विशिष्ट प्रावधान होने के बावजूद अन्यथा निर्वचन कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार की गयी आगत कर की मुजरा राशि को स्वीकार कर, आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । अतः अपने उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।



प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के ही एक अन्य पंजीकृत व्यवहारियों से विधिवत् रूप से जारी किये गये वैट इन्वॉयसेज के जरिये माल कय किया गया था। कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्रीत माल विक्रेता व्यवहारियों से वैध एवम् उचित वैट इन्वॉयसेज के जरिये प्राप्त किया गया था एवम् इस संबंध में वैट विवरणी प्ररूप एस.टी. 10 के संलग्न प्रस्तुत वैट प्ररूप 8A में समस्त विक्रय संव्यवहार विक्रेता व्यवहारियों द्वारा घोषित किये गये थे तथा वैट इन्वॉयसेज में विधिवत् रूप से कर पृथक् से वसूल किया गया था एवम् वैट इन्वॉयसेज में घोषित संग्रहीत कर के फलस्वरूप, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानान्तर्गत उपलब्ध आगत कर का मुजरा (Input Tax Credit) प्रस्तुत विवरणियों में क्लेम कर, इस संबंध में कय संव्यवहारों के प्ररूप वैट-7A में घोषित कर, शेष कर दायित्व का निर्वहन नियमानुसार उचित रूप से किया गया था। अतः इस संबंध में निर्धारण अधिकारी का यह निष्कर्ष कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 18(2) के तहत आगत कर का मुजरा देय नहीं है, रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों व विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण, विधिसम्मत एवम् उचित भी नहीं है। अग्रिम तर्क दिया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के हरतगत प्रकरण में निर्धारण अधिकारी के समक्ष ऐसे कोई कारण मौजूद नहीं थे कि वह विधिवत् रूप से जारी वैट इन्वॉयसेज में वसूल किये गये कर के संबंध में संशय करता। अतः इस संबंध में सद्भाविक रूप से क्लेम किये गये आगत कर के मुजरे (Input tax credit) को बिना किसी युक्तियुक्त आधार के प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्लेम किये गये आगत कर के मुजरे के दावे को अस्वीकार कर, इस संबंध में आगत कर मुजरा दावा राशि व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशि कायम करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अग्रिम अभिवाक् किया कि अधिनियम की धारा 18(3) में वर्णित विशिष्ट परिस्थितियों में ही आगत कर के मुजरे के दावे को इन्कार किया जा सकता है एवम् उक्त प्रावधान अधिनियम में अन्य प्रावधानों के अन्तर्विष्ट होने के बावजूद, लागू किये जाने योग्य है क्योंकि उक्त के संबंध में प्रावधानों की शुरुआत "Notwithstanding anything contained in this Act," से की गयी है, जो अधिनियम के अन्य प्रावधानों को नज़र अन्दाज करता है। इस संबंध में वित्त अधिनियम, 2009 के क्लॉज-2 की ओर ध्यानाकर्षित किया गया एवम् कायम की गयी मांग राशियों को विधिसम्मत नहीं होने का तर्क देकर, पारित अपीलीय आदेश की पुष्टि कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील





अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन किया गया। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि बहस के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक अधिनियम की धारा 10 के तहत विक्रेता व्यवहारीगण द्वारा कर जमा कराने के तथा माल का परिवहन के सबूत का भार का निर्वहन करने में असफल रहें हैं। पुनः उल्लेखनीय है कि वैट व्यवस्था का मूल आधार ही प्रथम बिन्दु पर वसूल किये गये कर को राजकोष में भुगतान करने के तथ्य का सत्यापन पाये जाने की दशा में ही आगामी बिन्दुओं पर घोषित कर दायित्व के विरुद्ध आगत कर का मुजरा (Input Tax Credit) प्रदान किये जाने योग्य है परन्तु हस्तगत प्रकरण में विक्रय आवली (Series of sales) में विक्रेता व्यवहारीगण द्वारा वसूल किये गये कर का भुगतान राजकोष में किये जाने का तथ्य सत्यापित होना प्रकट नहीं है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 18(2) व 18(3)(5) के प्रावधान निम्न प्रकार हैं:-

**18. Input Tax Credit.**-(1).....

(2) *The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed."*

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, no input tax credit shall be allowed on the purchases-

(i).....

(ii) .....

(iii) .....

(iv) .....

(v) where the purchasing dealer fails to prove the genuineness of the purchase transaction, on being asked to do so by an officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes




लगातार.....5

Officer authorised by the Commissioner.

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को आगत की मुजरा राशि के सत्यापन हेतु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उचित अवसर प्रदान किया गया था। नोटिस जारी करने के संबंध में की गयी कार्यवाही रिकॉर्ड पत्रावली के पृष्ठ क्रमांक 1 पर उपलब्ध आदेशिका से स्पष्ट है। परन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा केवल जवाब एवम् क्व इन्वॉसेज की छाया प्रतियां ही प्रस्तुत की गयी हैं, जबकि कर भुगतान के सत्यापन हेतु किसी प्रकार का कोई प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त तथ्यात्मक स्थिति व इस संबंध में अधिनियम के उपर्युक्त वर्णित विशिष्ट प्रावधानों के आलोक में, पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश पुनर्स्थापित किया जाता है।

परिणामतः, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
13.8.2014  
(मदन लाल)  
सदस्य